उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2
संख्या-4/2016-आडिट-2-964/दस-2016-351(5)/2011
लखनऊ : दिनांक : 07 नवम्बर, 2016

शुद्धि-पत्र

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-**2** शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62 (एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के निम्न उप निदेशकों (वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 6600/- को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन का लाभ प्रदान किये जाने हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 21-1-2016 की संस्तुतियों के अनुसार,03 अधिकारियों को कार्यालय आदेश संख्या-5/2016/आडिट-595/दस-2016-351(5)/2011, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा उनके नाम के सम्मुख कालम-9 में अंकित तिथि से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन बैण्ड-4 वेतनमान रू0 37400-67000,ग्रेड वेतन रू0 8700 प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2- उक्त आदेश में कॉलमों की संख्या-1 से 10 अंकित है, जिसमें कॉलम संख्या-2 लिपिकीय त्रुटिवश अंकित नहीं है। अत: उक्त आदेश के कॉलमों की संख्या क्रमवार करते हुए कॉलम संख्या-9 में अंकित तिथि से ही प्रश्नगत अधिकारियों को तृतीय ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत होगा पढा जायेगा।

क्र0सं0/ज्ये0क्र0	**अधिकारी का नाम/पदनाम**	**जि0ले0प0अ0 के पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि**	**स0नि0 के पद पर (8000-13500) में पदोन्नति की तिथि**	**स0नि0 पद पर 8 वर्ष की सेवा पर 10000-15200 का वेतनमान स्वीकृत होने की तिथि**	**उ0नि0 पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि**	**रू0 7600/- ए0सी0पी0 स्वीकृति की तिथि (कनिष्ठ के आधार पर**	**शा0देश दिनांक 05-11-14 के प्रस्तर-4(11) की व्यवस्थानुसार संशोधित द्वितीय ए0सी0पी0 की तिथि**	**26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय ए0सी0पी0 के रूप में देय वेतन बैण्ड-4, वेतनमान रू0 37400-67000 एवं ग्रेड पे रू0 8700 की देयता तिथि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1/29	श्री रमेश पाण्डेय, उप निदेशक	21-2-88	23-2-96	24-2-04	30-1-09	19-10-12	21-2-12	21-2-14
2/30	श्री ओम प्रकाश उपाध्याय, उप निदेशक	09-12-88	31-1-96	01-2-04	31-1-09	19-10-12	31-1-12	09-12-14
3/32	श्री दिनेश सिंह, उप निदेशक	31-8-89	27-1-96	28-1-04	08-11-10	19-10-12	27-1-12	31-8-15

2- शासन का उक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या- संख्या-5/2016/आडिट-595/2016-351(5)/2011, दिनांक 08 मार्च, 2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीया,

(उमा द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-4/2016-आडिट-2-964(1)/दस-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-अधि0/शा0-2010, दिनॉक 12-8-2016 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित कार्मिकों को उनके नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करे।
3- मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद/सम्बन्धित मण्डल/जनपद।
4- सम्बन्धित अधिकारी।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।